प्रेस नोट जनपद बलिया
दिनांक 12.10.2025

क्रैक डाउन

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गड़वार जनपद बलिया पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाले 02 बदमाश/अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धूरन सिंह की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पूर्व मे किया गया था घोषित ।

उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 11/12.10.2025 की रात्रि समय 01.30 बजे थाना गडवार पुलिस द्वारा रामपुर असली मोड थाना गडवार पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आ रहे तीन व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु मोटरसाइकिल सवारों द्वारा बिना रुके गाड़ी मोड़कर भागने लगे, पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। ग्राम रामपुर असली को जाने वाली सड़क की बांयी पटरी पर मोटरसाइकिल फिसल गयी और पुलिस से घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में *02 बदमाश 1.राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धूरान सिंह पुत्र लालबाबू सिंह निवासी ग्राम त्रिकालपुर थाना गडवार जनपद बलिया उम्र करीब 27 वर्ष* को दाहिने पैर में गोली लगी तथा बदमाश *2.अंगद कुमार पुत्र रंगबहादुर राम निवासी ग्राम भीखमपुर थाना फेफना जनपद बलिया उम्र करीब 23 वर्ष* को बांये पैर में गोली लगी तथा मोटर साइकिल सवार बदमाश निरंजन सिहं पुत्र शम्भू सिंह निवासी ग्राम त्रिकालपुर थाना गडवार जनपद बलिया अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से मोटर साइकिल लेकर भाग निकला।
पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि घायल बदमाश राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धूरान सिंह व अंगद कुमार द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 28.09.2025 की रात्रि करीब 08.30 बजे त्रिकालपुर में एजाजुल हक को उसी की टेन्ट हाउस की दुकान के अन्दर घुसकर जान से मारने की नीयत से लात घूसों, चाकू और लाठी डन्डों से मारपीट कर अधमरा कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। *अभियुक्त राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धूरन सिंह की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पूर्व मे घोषित किया गया था।* दोनों घायल बदमाश/अभियुक्तगण को इलाज हेतु सदर अस्पताल बलिया जाया गया। पकड़े गए बदमाश राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धूरान सिंह के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .303 बोर व अंगद कुमार के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी .315

बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, बरामद हुए हैं। भागे हुए बदमाश की तलाश जारी है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सम्बन्धित अभियोग -
1.मु0अ0सं0 221/2025 धारा 103(1), 115(2), 352,351(3), 190,191(2), 191(3), 333 बी0एन0एस0 थाना गड़वार बलिया

अभियुक्तगण का नाम व पता-
01. राघवेन्द्र सिंह उर्फ धूरान पुत्र लालबाबू सिंह निवासी ग्राम त्रिकालपुर थाना गड़वार जनपद बलिया उम्र करीब 27 वर्ष।
02. अंगद कुमार पुत्र रंगबहादुर राम निवासी भीखमपुर थाना फेफना जनपद बलिया उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी –
01. अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह उर्फ धूरान सिंह के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .303 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .303 बोर तथा 01अदद एन्ड्रायड विवो मोबाइल फोन बरामद।
02. अभियुक्त अंगद कुमार के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद आईफोन मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास
राघवेन्द्र सिंह उर्फ धूरान पुत्र लालबाबू सिंह निवासी ग्राम त्रिकालपुर थाना गड़वार जनपद बलिया
01.मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/5ए/8 गो-हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
02. मु0अ0सं0 221/2025 धारा 103(1),115(2),352,351(3), 190,191(2),191(3),333 बी0एन0एस0 थाना गड़वार बलिया
03. मु0अ0सं0 235/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/7/25/27 थाना गड़वार जनपद बलिया

अभियुक्त अंगद कुमार पुत्र रंगबहादुर राम निवासी भीखमपुर थाना फेफना जनपद बलिया
01.मु0अ0सं0 298/2023 धारा 401 भादवि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेफना जनपद बलिया
02. मु0अ0सं0 221/2025 धारा 103(1), 115(2), 352,351(3), 190,191(2), 191(3), 333 बी0एन0एस0 थाना गड़वार जनपद बलिया
03. मु0अ0सं0 235/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना गड़वार जनपद बलिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री राजेश बहादुर सिंह थाना गड़वार जनपद बलिया
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना गड़वार जनपद बलिया
3. का0 शिवम पटेल थाना गड़वार जनपद बलिया
4. का0 मो0 आसिफ थाना गड़वार जनपद बलिया
5. का0 इमरान थाना गड़वार जनपद बलिया।

सोशल मीडिया सेल
बलिया पुलिस।